

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

गणेशी वारि

विपक्षी

किशनलाल

मुकदमा

प्रा.पत्र

पत्रावली संख्या 47/15 सन

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा
सूचनाएं जारी की गई

17/12/2020

पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी श्री अशोक
सेन द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्रतलबी
का पेश करने पर मूल वाद के साथ तलब
की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि
प्रकरण में पक्षकारानु के मध्य आपसी राजीनामा
हो चुका है। इसलिए अब पत्रावली में कोई
कार्यवाही नहीं चाकर पत्रावली को इसी स्तर
पर ड्रॉप किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता कोई कार्यवाही
नहीं चाहते से पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप
की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखाया जाकर



सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली

17/12/20

